मुन्तकिली प्रकरण सं0 51/2016 अनवानी गुरमीत सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति रायसिख साकिन घमण्डिया तहसील सूरतगढ बनाम 1–दयाल कौर पुत्री इन्द्र सिंह पत्नि जंगीरसिंह साकिन सादकवाल तह0 सूरतगढ 2– प्रकाशसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 3–हरनेक सिंह पुत्र इन्द्र सिंह 4–सुरजीतसिंह पुत्र इन्द्र सिंह 5–ज्वाला कौर पुत्री इन्द्र सिंह पत्नि बलदेवसिंह 6–उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.09.2016

प्रार्थी गुरमीत सिंह के अभिभाषक श्री ओ.पी.बतरा उपस्थित है। अप्रार्थीया दयाल कौर के अभिभाषक श्री जगमोहन आहूजा उपस्थित है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीया दयाल कौर के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ में लंबित वाद संख्या 138/2014 अनवानी दयाल कौर बनाम प्रकाशसिंह मय प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ में लंबित वाद संख्या 138/2014 अनवानी दयाल कौर बनाम प्रकाशसिंह मय प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को अन्यत्र स्थान पर लगाया जा चुका है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 07.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर